न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	01/2024	01/07/2024	26/25 (2025/72)	15.01.2025	25.02.2026	1 लगायत 18

1. प्रहलाद सिंह पुत्र गुलाबसिंह उम्र 76 साल जाति राजपूत निवासी बाढ नाननवास तहसील बामनवास – प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. कैलाश पुत्र मीठया उम्र 39 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तह0 सपोटरा।
2. सरूपी पत्नि मीठया उम्र 33 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तह0 सपोटरा।
3. सखों पुत्री मीठया पत्नि रामरूप जाति मीना निवासी खिरखिडा बालौती जिला करौली।
4. गीता पुत्री मीठया पत्नि फूलसिंह जाति मीना निवासी खिरखिड़ा गुरदेह करौली।
5. घमसों पुत्री मीठया पत्नि रामअवतार जाति मीना निवासी कल्याणपुरा दौलतपुरा करौली।
6. राहुल पुत्र अमृत उम्र 24 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
7. उर्मिला पत्नि अमृतलाल उम्र 52 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
8. प्रियंका पुत्री अमृतलाल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
9. अभिलाषा पुत्री अमृतलाल पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति मीना निवासी सपोटरा।
10. रोशनी मीना पत्नि लोकेश कुमार जाति मीना निवासी नाननवास तहसील बरनाला।
11. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर बामनवास।
12. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

– अप्रार्थीगण–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी (स0मा0)

Connected with:-

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
2	02/2024	02/08/2024	27/25 (2025/74)	15.01.2025		1 लगायत 16

1. केसरसिंह पुत्र किशन सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी बाढ नाननवास तहसील बामनवास । – प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. कैलाश पुत्र मीठया उम्र 39 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तह0 सपोटरा।
2. सरूपी पत्नि मीठया उम्र 33 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तह0 सपोटरा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 26/25 उनवान प्रहलाद बनाम कैलाश व अन्य
मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

3. सखों पुत्री मीठया पत्नि रामरूप जाति मीना निवासी खिरखिडा बालौती जिला करौली।
4. गीता पुत्री मीठया पत्नि फूलसिंह जाति मीना निवासी खिरखिड़ा गुरदेह करौली।
5. हंसो पुत्री मीठया पत्नि रामअवतार जाति मीना निवासी कल्याणपुरा दौलतपुरा करौली।
6. राहुल पुत्र अमृत उम्र 24 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
7. उर्मिला पत्नि अमृतलाल उम्र 52 साल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
8. प्रियंका पुत्री अमृतलाल जाति मीना निवासी खावदा डाबिर तहसील सपोटरा।
9. अभिलाषा पुत्री अमृतलाल पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति मीना निवासी सपोटरा।
10. रोशनी मीना पत्नि लोकेश कुमार जाति मीना निवासी नाननवास तहसील बरनाला।
11. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर बामनवास।
12. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

— अप्रार्थीगण—

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970</u>

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम बाढ नाननवास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 1.50 है0 मीठया पुत्र पपैया के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 28.05.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 28.05.2086 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 की और से विद्वान अधिवक्ता मीना शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 10 की और से विद्वान अधिवक्ता सतीश कुमार शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 6 लगायत 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी सं0 11 व 12 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दौराने बहस अनुरोध किया कि मीठ्या पुत्र पपीया मीना द्वारा स्वयं को भूमिहीन व ग्राम बाढ़ नाननवास का निवासी दर्शाते

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 26/25 उनवान प्रहलाद बनाम कैलाश व अन्य
मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

हुए श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के समक्ष कृषि हेतु भूमि आवंटित किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर. बाद पूर्ण विचारण व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कैम्प बाटोदा में दिनांक 28.05.2086 को मीठ्या को 1.50 हेक्टेयर (6 बीघा) भूमि, खसरा नंबर 135 ग्राम बाढ़ नाननवास में आवंटित किये जाने के आदेश जारी किये गये, जिसकी पालना में आवंटन आदेश कमांक 144 दिनांकित 18.08.1986 जारी किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद सं.1 की प्रथम पंक्ति में दिनांक 28.05.1986 के स्थान पर टाईपिंग गलती की वजह से 23.05.1986 अंकित होना बताया है, जो कि असल में 28.05. 1986 ही है। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण में पेश की गई है। यह कि भूमि आवंटन आदेश खसरा नंबर 135 के लिए जारी होने के उपरांत मीठया द्वारा स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों पटवारी, गिरदावर वगैरा से साजकर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा नंबर 132 में से 1.50 हेक्टेयर (6 बीघा) भूमि गैरखातेदारी से अपने नाम खातेदारी लगवा ली गई। मीठ्या की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान द्वारा खसरा नंबर 132 में से उक्त 1.50 ऐयर (6 बीघा) भूमि रोशनी मीना पत्नी लोकेश मीना, निवासी–नाननवास को रजिस्टर्ड बेचान कर दी। रजिस्टी की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर पेश है। उक्त आवंटन आदेश 1986 को निरस्त करने के लिए इस बिन्दु पर गौर किया जाना है कि उक्त आवंटन विधि अनुसार हुआ है अथवा नहीं, आबंटन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक मापदण्डों, नियमों और प्रक्रिया को पूरा किया गया है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में प्रार्थी पक्ष का यह तर्क है कि दिनांक 28.05.1986 को मीठ्या पुत्र पपीया को किया गया उक्त आवंटन किसी भी प्रकार से नियमानुसार नहीं है एवम् विधि विरूद्ध है. अत मीठ्या को किया गया आवंटन निम्न आधारों पर निरस्त किया जाना चाहिए–

(क) यह कि मिठ्या भूमि आवंटन की आवश्यक योग्यता एवं शर्तों को भी पूरी नहीं करता था एवं राज्य सरकार के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर सरकारी अधिकारियों को गलफत में रखकर गलत आवंटन आदेश जारी करवाया है। भूमि आवंटन हेतु आवश्यक प्रथम शर्त है कि आवटी व्यक्ति के पास कोई पक्का मकान नहीं हो, वह भूमिहीन होना चाहिए, जबकि मीठ्या के पास सन् 1986 में उक्त आवंटन से पूर्व से ही ग्राम डाबर में खसरा नंबर 92, 93, 94, 123/1, 180 संपत्ति मौजूद थी जो मिठ्या. रामनारायण पिसरान पपीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रति लिखित बहस के साथ संलग्न है। गौर

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

करने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में भूमि आवंटन के समय मीठ्या पूर्व से ही ग्राम डाबिर, तहसील सपोटरा, जिला करौली में अपने नाम कृषि भूमि रखता था और भू–स्वामी था तथा भूमिहीन नहीं था। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी कि मीठ्या द्वारा इस तथ्य का, कि उसके पास ग्राम डाबिर में उक्त कृषि भूमि है, का अंकन अपने द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र में भी नहीं किया गया है। ग्राम डाबिर में मीठ्या के नाम आवंटन आदेश से पूर्व से ही पैतृक कृषि भूमि होने बाबत् सवत् 2039 से 2042 (सन् 1982 से 1985) तथा संवत् 2044 से 2046 (सन् 1987 से 1989) तक की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित नकल पेश की हैं जिनसे स्पष्टतः दर्शित होता है कि सन् 1982 से और उसके पूर्व से ही मीठ्या ग्राम डाबिर में निरन्तर भू–स्वामी चला आ रहा है। संवत् 2043 की गिरदावरी सवंत् 2044 से 2046 में ही किए जाने से संवत् 2043 का पृथक से उल्लेख नहीं है। ग्राम डाबिर में उक्त भूमि वर्तमान में भी मीठ्या के वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही है जो कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकार सं.1 लगायत 9 हैं तथा इनकी उक्त भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी की प्रति भी संलग्न है । जिसके मुताबिक मीठ्या के वारिसान वर्तमान में भी ग्राम डाबिर के ही निवासी चले आ रहे हैं। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि वास्तविक तथ्य छिपाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर करवाया गया उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(ख) भूमि आवंटन की दूसरी एवं महत्वपूर्ण आवश्यक योग्यता वि आवंटी को संबंधित राजस्व क्षेत्र का निवासी होना चाहिए भी मीठ्या पूरी नहीं करता था। मीठ्या सन 1986 में वास्तविकता में ग्राम डाबर तहसील सपोटरा का निवासी था और वर्तमान में आज दिनांक को भी उसके वारिसान ग्राम डाबर, तहसील सपोटरा, जिला वारौली में ही निवासरत हैं। प्रार्थी पक्ष द्वारा मीठ्या की ग्राम डाबर, तहसील सपोटरा में कृषि भूमि का जो प्रमाणित रिकॉर्ड पेश किया गया है उसमें मीठ्या सन् 1986 में उक्त भूमि का स्वामी होना, साथ ही ग्राम डाबर का निवासी होना दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड, सन् 1986 में मीठ्या के निवास स्थान का भी प्रमाण है कि मीठ्या सन् 1986 में ग्राम जाबिर का निवासी था. तो फिर उसके द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र में मीठ्या द्वारा स्वयं को ग्राम बाढ़ नाननवास, तहसील बामनवास का निवासी होना अंकित किया गया है, जो झूठा अंकित किया गया है। मीठ्या ग्राम बाढ़ नानवास का कभी निवासी नहीं रहा है और आज दिन तक भी उसके कोई भी वारिसान ग्राम बाढ़ नाननवास के निवासी नहीं है। प्रकरण में इस संदर्भ में यह भी गौर करने योग्य बिन्दु है कि मीठ्या के पुत्र, पत्नी सहित समस्त वारिसान को जारी किए गए रजिस्टर्ड

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नोटिस की तामील ग्राम डाबिर, तहसील सपोटरा के पते पर ही हुई है जिससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि सन् 1986 से आज दिन तक मीठ्या व उसकी मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी, पुत्र व अन्य वैध वारिसान ग्राम डाबर में ही निरन्तर रूप से निवासरत हैं तो फिर मीठ्या व उसके वारिसान ग्राम बाढ़ नाननवास में करीब 150 किलोमीटर दूर मात्र एक 06 बीघा के खेत पर खेती करने कब आ गये ? और यदि सन् 1986 से 2004 तक मीठ्या व उसके वारिसान ने ग्राम बाढ़ नाननवास में वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर खेती की तो इन 38 वर्षों में ग्राम बाढ़ नाननवास का उनको कोई रहने का पता ठिकाना तो होता। ग्राम बाढ़ नाननवास में यदि मीठ्या व उसके वारिसान निवासी होते तो उनके निवास का कोई पता व उसके समर्थन में साक्ष्य बाबत कोई दस्तावेज राशनकार्ड, मतदाता कार्ड, किसी भी वारिस का आधार कार्ड इत्यादि कुछ भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है. मात्र मौखिक रूप से मीठ्या व उसके वारिसान को, ग्राम बाढ़ नाननवास का निवासी बताया गया है जो किसी भी स्तर पर साबित नहीं होता है जबकि प्रार्थी पक्ष की ओर से मीठ्या की ग्राम डाबर की कृषि भूमि का जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उसमें उक्त भूमि वर्तमान में सहकारी भूमि विकास बैंक, हिण्डौन के रहन रखे जाने का भी नोट अंकित है। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि मीठ्या व उसके वारिसान सन् 1986 व उसके पूर्व से ही ग्राम डाबर के निवासी हैं और आज भी वहीं निवासरत है, ग्राम बाढ़ नाननवारा के ये लोग कभी निवासी रहे ही नहीं हैं। मीठ्या द्वारा ग्राम बाढ़ नाननवास का स्वयं को निवासी बताया जाकर जो आवंटन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह भी जाली है तथा अपने निवास स्थान बाबत, पूर्व से ही भूस्वामी होने बाबत् वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए राजस्व अधिकारियों को गुमराह करने व झूठ बोलकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर गलत आंवटन आदेश जारी करवाने के उददेश्य से पेश किया गया है। अतः इस प्रकार समस्त मिथ्या तथ्यों के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

4. प्रार्थी पक्ष ने यह भी निवेदन किया है कि मीठ्या पुत्र पपीया द्वारा स्वयं को ग्राम बाढ़ नाननवास, तहसील बामनवास का भूमिहीन किसान बताते हुए ग्राम बाढ़ नाननवास में खसरा नंबर 132 में 06 बीघा भूमि आवंटित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, किंतु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद अवलोकन व बाद विचारण मीठ्या को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नंबर 135 में 08 बीघा भूमि आवंटित

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

की गई। गौर करने योग्य बिन्दु यह है कि आवंटन सलाहकार समिति में पाँच सदस्य जिनमें सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, विधायक, मनोनीत सदस्य एवं तहसीलदार होते हैं जिन सभी ने पूर्ण विचारण, अवलोकन व सहमति के बाद ही प्रस्तुत आवेदन के आधार पर खसरा नंबर 135 में भूमि आवंटन की सिफारिश की जिसके आधार पर मीठ्या को खसरा नंबर 135 में 1.5 हेक्टेयर अर्थात 06 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नंबर 132 में मीठ्या को भूमि आवंटित किये जाने की कभी कोई सलाह नहीं दी गई है एवम् आज दिन तक कभी भी खसरा नंबर 132 में मीठ्या को कोई भूमि आंवटित की जाकर, मीठ्या के पक्ष में कोई आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है। साजपूर्वक मिथ्या तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटित करवाए जाने के उपरात मीठ्या ने स्थानीय राजस्व कर्मचारी यथा पटवारी, गिरदावर से मिलकर गलत तरीके से खसरा नंबर 135 में आवंटन आदेश से अलग हटकर, उक्त आवंटन आदेश की आड़ में खसरा नंबर 132 में 1.50 हेक्टेयर अर्थात् 06 बीघा भूमि खातेदारी में अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली तथा तत्कालीन पटवारी ने अवैधानिक रूप से, खसरा नंबर 135 के स्थान पर खसरा नंबर 132 में मीठ्या को जमीन का कागजी तौर पर खातेदार बनाकर कागजी कब्जा संभला दिया।

5. उच्च स्तरीय पांच सदस्यों की आवंटन सलाहकार समिति की खसरा नंबर 135 में आवंटन की सलाह के आधार पर, श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, बामनवास द्वारा जारी किए गए आवंटन आदेश को नकारते हुए व्यक्ति विशेष 'मीठ्या को इरादतन लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गलत तरीके से खसरा नंबर 132 में 06 बीघा भूमि की मीठ्या के नाम खातेदारी दर्ज करने व कागजी तौर पर उक्त का कब्जा भी मीठ्या को संभलाने का मनमर्जीपूर्ण व उच्चाधिकारियों के राजकीय आदेशों की अवहेलना का नियन विरूद्ध कार्य, संबंधित तत्कालीन पटवारी ने किया है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। इस प्रकार मनमाने तरीके से खसरा नंबर 132 में दर्ज खातेदारी व कागजी तौर पर अमल में लाये जाने के दस्तावेज को रद्द किया जाकर उक्त के लिए तत्कालीन पटवारी के विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। खसरा नंबर 132 में वादग्रस्त भूमि पर पीढ़ियों से प्रार्थी पक्ष ही काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण प्रहलाद सिंह व कंत्तर सिंह एक ही परिवार के होने से पीढ़ियों से शामलाती तौर पर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि पर काश्त करने के लिए पेनल्टी भी प्रार्थीगण जमा करवाते आये हैं. पेनल्टी जमा करवाकर रसीद केसरसिंह के नाम से प्राप्त की जाती रही हैं, पेनल्टी की रसीदों की फोटोप्रतियों व पेनल्टी रिकॉर्ड,

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

लिखित बहस के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में सन 1988 में आवंटन आदेश के बाद से, मीठ्या के वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान किये जाने तक, मीठ्या व उसके वारिसान का कभी भी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 132 में कब्जा नहीं रहा है और न ही कभी इनके द्वारा उक्त भूमि पर काश्त की गई। प्रार्थीगण का ही पीढ़ियों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ही नियमित रूप से काश्त करते आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा खसरा नंबर 132 में वादग्रस्त भूमि को दिनांक 04.01.2024 को रोशनी मीना पत्नी लोकेश मीना, निवासी ग्राम नाननवास को रजिस्टर्ड बेचान कर दिये जाने के उपरांत, जब रोशनी मीना प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करने के लिए आई, तब प्रार्थीगण को रोशनी मीना के जरिये जानकारी हुई कि उसने मीठ्या के वारिसान से उक्त भूमि रजिस्टर्ड कय की है। तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड की जाँच करने पर प्रार्थीगण को सन् 1986 में हुए उक्त गलत आवंटन एवं समस्त फर्जकारी की जानकारी हुई। प्रार्थीगण के संज्ञान में उक्त मामला आते ही प्रार्थीगण द्वारा तत्काल उक्त आवंटन निरस्त किये जाने बाबत् विधिक कार्यवाही की गई एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) आवंटन रूल्स, 1970 नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किये गये।

6. प्रार्थीगण को, मीठ्या को सन् 1986 में किये गये उक्त आक्षेपित आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 15.06.2024 को उस समय हुई जब रोशनी मीना पत्नी लोकेश मीना प्रार्थीगण के कब्जेशुदा काश्त की भूमि पर रजिस्टर्ड स्वामी होकर कब्जा करने आये, जिसका प्रार्थीगण ने विरोध किया तथा उक्त भूमि पर रोशनी मीना को कब्जा नहीं करने दिया। जिससे नाराज होकर प्रार्थीपक्ष को डराने–धमकाने व खसरा नंबर 132 से प्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए दिनाक 16.06.2024 को रोशनी मीना का पति लोकेश मीना, उसका भाई ओमी मीना, भरतु मीना, नमो मीना व अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठी डण्डे लेकर खसरा नंबर 132 के पास ही स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त वाले खेत खसरा नंबर 117/72 पर आ गये जहां खेत पर काम कर रही थी तब विपक्षीगण द्वारा विधवा पुत्रबध हसा देवी के साथ इन लोगों ने बेअदबी की और गाली गलौच मारपीट की जिस बाबत हसा देवी की ओर से पुलिस थाना बाटोदा में एक कौजदारी मुकदमा, एफआईआर सं. 101/2024 दर्ज करवाया गया, जिसमे माननीय नायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बामनवास के समक्ष चालान पेश किया गया और जमा मुकदमा वर्तमान में अनवेक्षाधीन है, जिसकी एफ०आई०आर० की प्रति लिखित बहस के साथ संलग्न है। विपक्षी

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 26/25 उनवान प्रहलाद बनाम कैलाश व अन्य
मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

स.10 रोशनी मीना, उसका पति लोकेश बीना व इनके परिवारजन भुजबल व धनबल के आधार पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन के कब्जेशुदा व काश्त की भूमि खसरा नंबर 132 को प्रार्थीपक्ष से छीनना चाहते हैं और प्रार्थीपक्ष की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खेत सखसरा नंबर 117/72 को भी हड़पना चाहते हैं, जिसे बचाने के लिए प्रार्थी पक्ष को श्रीमान् एस०डी०ओ० कोर्ट, बामनवास में विपक्षी रोशनी के विरूद्ध राजस्व मुकदमा कर अपने स्वयं के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 117/72 पर नियमानुसार यथास्थिति के आदेश हेतु प्रार्थना कर स्टे आदेश प्राप्त करना पड़ा,जो संलग्न लिखित बहस है। इसके बाद भी विपक्षी द्वारा प्रार्थीपक्ष को तंग परेशान किये जाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा को प्रार्थीपक्ष की ओर से जरिये विधवा पुत्रवधु हंसा देवी, सुरक्षार्थ प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें भी हस्तगत मुकदमे का उल्लेख किया गया है. जिसकी फोटोप्रति संलग्न लिखित बहस है।

7. अत दिनांक 15.06.2024 को उक्त गलत आवंटन सहित संपूर्ण मामला प्रार्थीगण की जानकारी में आने तथा दिनांक 16.06 2024 को प्रार्धीपक्ष की बहू हसा देवी के साथ अप्रार्थीस 10 के परिवारजन द्वारा लज्जाभंग करते हुए मारपीट किए जाने से फौजदारी प्रकरण में कार्यवाही करने के उपरात, दिनांक 28.06.2024 को हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन रूल्स, 1970 नियमानुसार माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रहलादसिंह की ओर से पेश किया गया जो अंदर मियाद पेश किया गया है. जिसमे मियाद बाबत कोई विलंब कारित नहीं हुआ है। विपक्षी सं.10 रोशनी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 28.05.1986 को मीठ्या को खसरा नंबर 132 में से 06 बीघा भूमि आवंटित की गई थी एवं उक्त कथन के समर्थन में रोशनी मीना की ओर से फर्द सूची के साथ फोटोप्रति दस्तावेज जिसमें आवंटन आदेश की जो प्रति पेश की गई है उसमें खसरा नंबर 135 को काट कर फर्जी तरीके से 132 बनाया गया है एवं उक्त आवंटन आदेश फोटोप्रति दस्तावेज पर, जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी असल आवंटन आदेश से भिन्न है जबकि जारी किये जाने का कमांकः 144 व दिनांक 18:08.86 ही है। विपक्षी सं. 10 रोशनी मीना द्वारा असल दस्तावेज की नकल प्राप्त कर, उसमें काट–छांट कर तथा अधिकारी के गलत हस्ताक्षर कर, इस न्यायालय को गुमराह करने के उददेश्य से न्यायालय में पेश किया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर रिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट ना. 355/2025 अंतर्गत धारा 318/(4) 316(2) 338 व 336(3) सीएस०एस० के तहत दर्ज करवाई गई है जिसमें अनुसंधान जारी है। विपक्षी सं.10

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 26/25 उनवान प्रह्लाद बनाम कैलाश व अन्य
मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

ने अपनी ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब प्रार्थना पत्र में मद सं.1 में अंकित किया है कि आवंटन के पश्चात् से मीठ्या व मीठ्या की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान खसरा नंबर 132 पर काबिज रहकर काश्त करते रहे हैं, विपक्षी का उक्त कथन पूर्णतया मिथ्या, आधारहीन व साक्ष्यहीन है। उक्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि मीठ्या व उसके वारिसान ने कभी उक्त भूमि पर काश्त की हो व नियमानुसार लगान जमा करवाया हो, कोई लगान की रसीद भी पेश नहीं की है। जबकि उक्त गैरखातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण पीढ़ियों से काबिज होकर काश्त करते जा रहे हैं एवं इसके समर्थन में केसरसिंह द्वारा जमा करवाई गई पेनल्टी की रसीदें व रिकॉर्ड संलग्न लिखित बहस है। विपक्षी सं.10 रोशनी मीना भी कभी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्तकार नहीं रही है, रजिस्टर्ड स्वामी बनने के उपरांत से उभयपक्षकारान के मध्य फौजदारी व राजस्व मुकदमेबाजी प्रारंभ हो गई थी. इसलिए जवाब के मद सं.1 में रोशनी मीना द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने का तथ्य मिथ्या अंकित किया है।विपक्षी सं 10 रोशनी मीना ने जबरन झगड़ा कर वादग्रस्त भूमि पर गलत तरीके से साजपूर्वक पत्थरगढ़ी की थी, जिसके बाबत् अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर के समक्ष लबित है। पत्थरगढी बाबत् एस०डी०एम० बामनवास के समक्ष रोशनी मीना द्वारा प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है तथा जिसमें प्रार्थी पक्ष को, रोशनी मीना ने आवश्यक पक्षकार होते हुए भी,पक्षकार नहीं बनाया, प्रार्थी पक्ष की आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की दरख्वास्त लबित होते हुए प्रार्थीपक्ष को बिना सुने, नियत पेशी से पूर्व ही. बिना प्रार्थीगण को सूचित किए,एकतरफा आदेश पारित कर दिए गए, जो आक्षेपित आदेश अपील में लंबित है।विपक्षी सं. 10 रोशनी मीना द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद सं.2 में मीठ्या के वारिसान का वादगस्त भूमि पर कब्जा किसी प्रकार से साबित नहीं है, तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा मीठ्या के वारिसान पर उक्त भूमि विक्रय किये जाने का दबाव बनाने व धमकाने का तथ्य झूठा व निराधार अंकित किया गया है क्योंकि यदि किसी भी स्तर पर यदि ऐसा होता तो उक्त आशय की आज दिवस तक कहीं भी कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई,किस वारिस को, कब, कहां, किस प्रकार से धमकाया,ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है।जवाब का मद सं.2 पूरी तरह से बेबुनियाद है जो पोषणीय नहीं है।विपक्षी सं. 10 रोशनी मीना की ओर से प्रस्तुत जवाब पूरी तरह से सारहीन होने के साथ–साथ आश्चर्यजनक भी है क्योंकि उक्त विपक्षी न्यायालय को गुमराह करने के लिए किस सीमा तक झूठ बोलने पर आमादा है,उसकी स्पष्ट जवाब के मद सं.3 में दृष्टिगोचर

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

है।" मीठ्या पढ़ा लिखा नहीं था. आवेदन फार्म अन्य लोगों से भरवाया था, "आदि तथ्य मात्र कपोलकल्पित व अविश्वसनीय ' जिनका कोई औचित्य नहीं है, जबकि प्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विपक्षी सं.10 रोशनी मीना की ओर से प्रस्तुत जवाब के मद सं. 3 में पूर्णतया मिथ्या कथन अंकित किए गए हैं। आवंटी मीठ्या को खसरा नंबर 132 में ही पट्टा जारी किये जाने का झूठा कथन अंकित किया गया है तथा इसके समर्थन पर जाली दस्तावेज न्यायालय में पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का भरसक प्रयास भी विपक्षी द्वारा किया गया है जिसके बाबत् विपक्षी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने बाबत् लिखित बहस के बिन्दु संख्या–07 में ऊपर विस्तृत निवेदन किया गया है।

8. अतः प्रार्थीगण प्रहलादसिंह व केसरसिंह की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) आवंटन रूल्स, 1970 में संयुक्त रूप से बहस कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निम्न प्रकार स्वीकार किया जाकर आदेश फरमाये जाने की कृपा करें किः–

(1.) दिनांक 28.05.1986 को मीठ्या पुत्र पपीया मीना को केम्प बाटोदा में ग्राम बाढ नाननवास में खसरा नंबर 135 में आवंटित की गई भूमि रकबा 1.50 हेक्टेयर बाबत जारी किया गया आवंटन आदेश कमांकः 144 दिनाकित 18.08.86 तुरंत प्रभाव से निरस्त फरमाया जाये,

(2) आवंटन के आधार पर कालानुक्रम में दिनांक 04.01.2024 को मीठ्या के वारिसान द्वारा रोशनी पत्नी लोकेश मीना, निवासी ग्राम नाननवास के पक्ष में करवाई गई रजिस्ट्री को भी नियमानुसार स्वतः ही निरस्त व शून्य माना जाने बाबत् आदेश प्रदान किये जायें,

(3.) आवंटन आदेश दिनांक 28.05.1986 को निरस्त करते हुए गलत रूप से खसरा नंबर 132 में गैरखातेदारी से मीठ्या की खातेदारी में दर्ज की गई भूमि खसरा नबर 132/174 को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को पुनः तत्काल गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत् तहसीलदार, तहसील बरनाला को आदेश प्रदान किए जायें एवम्

(4.) खसरा नंबर 132/174 पर रोशनी मीना द्वारा की गई पत्थरगढ़ी को तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 26/25 उनवान प्रहलाद बनाम कैलाश व अन्य
मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

9. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत व प्रार्थी केशरसिंह पुत्र किशनसिंह द्वारा दो पृथक पृथक प्रार्थना पत्र बावत् नियम 14(4) भु आंवटन पेश किये है। जिसमे प्रथम प्रार्थना पत्र प्रहलाद सिंह बनाम कैलाश वगै० के नाम से न्यायालय में पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र के मद नम्बर । मे मीठ्या पुत्र पपैया को दिनांक 23/05/1986 को राजस्व अभियान के दौरान भूमि का आवंटन होना अंकित किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को यह जानकारी ही नही है कि भूमि कब और किस समय आवंटन हुई। अपनी उक्त गलती के कारण प्रकरण के खारिज होने का अन्देशा होने पर तथा अपनी उक्त गलती को छुपाने के लिये प्रार्थी प्रहलाद सिंह द्वारा अपने ही समाज के व परिवार के अन्य व्यक्ति केशर सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत के द्वारा एक दूसरा प्रार्थना पत्र इसी आवंटन के विरूद्ध पेश करवाया गया। जिसे बाद मे न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के आपत्ती उठाने पर कन्सोलीडेट कर दिया गया। इसलिये दोनो प्रकरणो की लिखित बहस अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से पेश की जा रही है।

10. ग्राम बाढ नाननबास मे राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 28/05/1986 को खसरा नम्बर 132 मे से 1.50 है0 भूमि मीठ्या पुत्र पवैया जाति मीना निवासी बाढ नाननबास को आवंटित हुई। प्रार्थी मीठ्या द्वारा खसरा नम्बर 132 ग्राम बाढ नाननबास में ही भूमि आवंटन के लिये आवेदन किया था। परन्तु लिपीकिय भूल के कारण मौके पर मौजूद आवंटन अधिकारी व लिपीको द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 132 के स्थान पर भूमि का खसरा नम्बर गलत रूप से 135 दर्ज कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 132 ही सिवायचक भूमि थी। खसरा नम्बर 135 सरकारी भूमी नही होकर स्वयं प्रार्थी केशरसिंह व अन्य की भूमि रही। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 135 मे भूमि आवंटन का प्रश्न ही पैदा नही होता। भूमि आवंटन पत्रावली मे राजस्व कर्मचारीओ की भूमि के कारण सहवन से खसरा नम्बर 135 दर्ज कर दिया गया। उक्त गलती केवल कर्मचारीओ की भूल के कारण हुई जबकि जो आवंटन किया गया वह खसरा नम्बर 132 मे ही किया गया तथा खसरा नम्बर 132 में ही पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर आवंटी को दो गवाहो के समक्ष कब्जा दिया गया। तभी से आवंटी भूमि को लगतार काबिज करता चला आ रहा है। आवंटी के भूमि कृषक होने के कारण ही उसे भूमि का सही रूप से आवंटन किया गया है। जहाँ तक मीठ्या पुत्र पपैया का ग्राम डाबर तहसील सपोटरा मे आवंटी के बुर्जुग रहे

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

तथा उनके नाम संयुक्त खातेदारी की भूमि यदि कोई रही तो उसके बारे मे आवंटी को कोई जानकारी नही रही थी। आवंटी के पास उसके कब्जे व खातेदारी में उक्त आवंटीत भूमि के अलावा और कोई अन्य भूमि नही रही आवंटी अपने बचपन से ही बुर्जुगो के साथ ग्राम नाननवास मे आकर रहने लग गया तथा ग्राम नाननवास का स्थायी निवासी है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट व सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त होने योग्य है। मीठ्या पुत्र पैपया के आवेदन के अनुसार प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 132 मे ही आवंटीत की गई थी तथा 132 के ही छः बीघा रकबे पर ही आवंटी को कब्जा दिया गया तथा गैर खातेदारी का नामान्तकरण भी आवंटी के नाम सही रूप से दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 मे प्रार्थी स्वयं ने यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 132 में से 6 बीघा भूमि के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जहाँ तक आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 135 के बावत् भूमि आवंटन की सिफारिस का प्रश्न है। सिफरिस में लिपीकिय भूल के कारण खसरा नम्बर 132 के स्थान पर 135 दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 135 स्वयं प्रार्थी केशरसिंह व अन्य की भूमि है ना की सिवायचक की इसलिये आवंटन खसरा नम्बर 132 मे से ही किया गया तथ मौके पर 132 में से ही आवंटी को कब्जा दिया गया तथा खसरा नम्बर 132 की आवंटित 6 बीघा भूमि के बावत् ही गैर खातेदारी का नामान्तकरण आवंटी के नाम दर्ज कर भूमि का नया खसरा नम्बर 132/164 कायम कर दिया गया जिसकी खातेदारी नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 10/01/2002 को दर्ज हो गई भूमि के खातेदार मृतक मीठ्या पुत्र पपैया के वारिसान द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 10 रोशनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 04/01/2024 को विक्रय कर दिया तथा मौके पर उक्त विवादित भूमि पर क्रेता रोशनी काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भूमि के आवंटन सन् 1986 से लेकर सन् 2024 तक अर्थात् 38 वर्ष तक प्रार्थीगण को भूमि के आवंटन बावत् कभी कोई आपत्ती नही रही तथा आवंटी खातेदार व उसके वारिसान लगातार भूमि से लाभान्वित होते रहे। परन्तु दिनांक 04/01/2024 को अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा भूमि खरीदने तथा अपनी भूमि की पत्थरगढी करने के लिये न्यायालय श्रीमान उपजिला कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही को रोकने की नियत से तथा जबरन अप्रार्थी संख्या 10 पर भूमि का प्रार्थीगण को विक्रय करने का दबाव डालने पर तथा अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा उन्हे भूमि विक्रय करने से इंकार ....

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

करने पर उक्त गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। आवंटी को पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 132 पर ही मौके पर कब्जा दिया था तथा आवंटित भूमि के बावत् गैरखातेदारी का नामान्तकरण भी आवंटी के नाम खसरा नम्बर 132 का सही रूप से दर्ज किया गया तथा आवंटी को आवंटीत भूमि का नया खसरा नम्बर 132/164 कायम किया गया तथा जिसकी खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 10/01/2002 को दर्ज कर दिया गया अर्थात् भूमि की खातेदारी प्राप्त हुये लगभग 22 वर्ष से अधिक समय हो गया। किसी भी व्यक्ति जिसे भूमि आवंटन होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हो। उस आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 38 वर्ष बाद 22 वर्ष से अधिक पुरानी खातेदारी को समाप्त करने के लिये गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है। आवंटी मीठ्या का आवंटन बिल्कुल सही रूप से खसरा नम्बर 132 मे उसके द्वारा दिये गये आवेदन पर सिवायचक भूमि से किया गया भूमि खसरा नम्बर 135 सिवायचक भूमि नही थी। केवल मौके पर मौजूद कर्मचारीयो की लिपीकीय भूल के कारण सहवन से खसरा नम्बर 132 के स्थान पर 135 दर्ज कर दिया गया। तथा उक्त लिपीकीय भूमि के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा आवंटन के समय ही खसरा नम्बर 132 के 6 बीघा रकबे पर ही आवंटी को कब्जा दिया गया। जिस पर आवंटी लगातार काबिज काश्त रहा। तथा भूमि की खातेदारी उसे प्राप्त हुई इसलिये आवंटन बिल्कुल सही रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आवंटी को भूमि पर मौके पर कब्जा दिया गया तथा गैरखातेदारी दर्ज की गई तथा उसके उपरान्त कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही आवंटी के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज हुई जिसे लगभग 22 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस के मद नम्बर 5 मे यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा बाढ नाननवास मे खसरा नम्बर 132 में से 6 बीघा भूमि आवंटन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा केवल खसरा नम्बर 132 जो कि सिवायचक भूमि थी मे से भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। क्योकि खसरा नम्बर 132 ही सिवायचक भूमि का था खसरा नम्बर 135 स्वयं प्रार्थी केशरसिंह व अन्य की खातेदारी की भूमि थी। जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि आवंटन खसरा नम्बर 135 मे नही होकर 132 मे ही हुआ था। परन्तु मौके पर मौजूद राजस्व कर्मचारीयो की लिपीकीय भूल के कारण खसरा नम्बर 135

प्रमाणित प्रतिलिपि
(सील)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मे दर्ज हो गया तथा उक्त लिपीकीय भूल जो राजस्व कर्मचारीओ द्वारा की गई के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। पटवारी हल्का द्वारा सही रूप से खसरा नम्बर 132 के 6 बीघा के रकबे पर मौके पर आवंटी को कब्जा दिया गया है जिससे यह स्वयं प्रमाणित है कि भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 135 में नही होकर 132 मे हुआ। क्योकि भूमि आवंटन जिस खसरा नम्बर का किया जाना था। उसमे खसरा नम्बर 135 शामिल नही था। खसरा नम्बर 132 ही शामिल था। सहवन से लिपीकीय भूल के कारण खसरा नम्बर 135 दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के मद नम्बर 6 मे वर्णित तथ्य बिल्कुल मिथ्या अंकित किये है। मद में वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 132 मे हुये मीळ्या के आवंटन के बारे मे भूमि आवंटन के समय से ही जानकारी रही क्योकि मौके पर पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को कब्जा दिया गया। उससे लगता हुआ ही खसरा नम्बर 135 जो प्रार्थी केशरसिंह पुत्र किशन सिंह की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है कि मौजूदगी मे दिया गया। इसलिये यह नही कहा जा सकता कि खसरा नम्बर 132 मे हुये आवंटन के बारे मे प्रार्थीगण को जानकारी नही थी। प्रार्थीगण द्वारा जो नकले पैनल्टी की रसीद व खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश की है वह सन् 1994-95 की है जो अन्य किसी खसरा नम्बर व जगह की है क्योकि अप्रार्थी को भूमि सन् 1986 मे ही आवंटित हो चुकी थी। इसलिये किसी भी खातेदारी व गैरखातेदारी की पैनल्टी की रसीद या खसरा परिवर्तन की नकल नही बनायी जाती उक्त पैनल्टी की रसीद व खसरा परिवर्तन केवल सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर बनाई जाती है। उक्त दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से पेश किये है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त होने योग्य है। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 के पति व अन्य व्यक्तिओ द्वारा खसरा नम्बर 132 से प्रार्थी को बेदखल करने का कथन करते हुये झगडा होना दर्शित किया है तथा स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 117/72 पर झगडा करने का कथन किया है जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 132 व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 135 पास पास ही है इसलिये प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 135 की आड में अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 132 पर अनावश्यक कब्जा करना चाहते है इसलिये उक्त भूमि को विवादित बनाये रख कर हडपने पर आमादा है। इसी बात को लेकर अप्रार्थी ने अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी का मुकदमा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहाँ पेश किया जिससे नाराज होकर तथा पत्थरगढी को रोकने की नियत से उक्त गलत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये है जो निराधार होने से

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त होने योग्य है। लिखित बहस के मद नम्बर 7 में प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि दिनांक 28/05/1986 को मीठ्या को खसरा नम्बर 132 मे 6 बीघा भूमि आवंटीत की गई थी। उसमे खसरा नम्बर 135 को काटकर फर्जी तरीके से खसरा नम्बर 132 बनाया है जबकि वास्तविकता यह है कि इस बारे मे अप्रार्थी संख्या 10 को कोई जानकारी नही थी। अप्रार्थी को जो दस्तावेज भूमि खरीद के समय दिये गये उन्ही दस्तावेजो की फोटो प्रति अप्रार्थी द्वारा पेश की गई। लिखित बहस के मद नम्बर 8 मे प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 132 पर मिठ्या व उसके वारिसान के उक्त खसरे पर कब्जे का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ना ही नियमानुसार लगान जमा करवाया है ना ही लगान की रसीद पेश की है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बारानी भूमि का कोई लगान सरकारी भूमि पर जमा नही करवाया जाता इसलिये लगान की रसीद पेश करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। जहाँ तक भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे का प्रश्न है प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी की भूमि जो खसरा नम्बर 132 मे मीठ्या को आवंटित हुई थी पर कब्जे का प्रश्न पैदा नही होता। क्योकि जो पैनल्टी की रसीद प्रार्थीगण द्वारा पेश की है वह सन् 2020, 2022 व पी–14 सन् 1994–95 की पेश की है। जो भूमि आवंटन के बाद की है। अर्थात् पेनल्टी की रसीद अन्य किसी भूमि के बावत् प्रस्तुत की गई है। खसरा नम्बर 132 की अप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी की भूमि जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 132/174 रकबा 1.50 है0 के बावत् नहीं है अर्थात् प्रार्थीगण द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दोनो प्रार्थना पत्र व संयुक्त लिखित बहस मे वर्णित तथ्य बिल्कुल मिथ्या व गलत अंकित किये गये है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त होने योग्य है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 10 ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019(2) पेज 838, आरआरटी 2016 (2) पेज 769 ,आरआरटी 2018(2) पेज 1007 ,आरआरटी 2017 (2) पेज 972 ,आरआरटी 2016–17 (सप्ली०) पेज 304, आरआरटी 2016 (2) पेज 756 प्रस्तुत कर दोनो प्रार्थना पत्र प्रहलाद सिंह बनाम कैलाश वगै० व केशरसिंह बनाम कैलाश वगै० निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

11. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकानुसार आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निम्नानुसार हैः–

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मु0नं0 26/25 उनवान प्रहलाद बनाम कैलाश व अन्य

मु0नं0 27/25 उनवान केसरसिंह बनाम कैलाश व अन्य

राजस्थान स०रे० एक्ट की धारा १०१ के अधीन अनधिवासित भूमियों में कृषि प्रयोजनार्थ

आवंटन के लिए आवेदन-पत्र

सेवामें,

श्रीमान [illegible]

मैं .... पुत्र .... निवासी .... तहसील ....

जिला सवाई माधोपुर का हूँ ....

निवेदन है कि—

१— मैं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन) नियम १९७० के नियम .... के अर्थ में भूमिहीन व्यक्ति हूँ।

२— कि मेरे पास मेरे उपयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खेती करने के लिए भूमि नहीं है।

या

कि इस समय मेरे पास निम्नलिखित भूमि है।

गांव के नाम जिसमें स्थित है	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	सिंचाई साधन	लगान

३— कि मुझे खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है।

४— अतः आपसे प्रार्थना है कि खेती के वास्ते निम्नलिखित भूमि आवंटित करने की कृपा करें।

भूमि का विवरण	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	सिंचाई साधन	लगान
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

५— मैं एतद्द्वारा राजस्थान टेनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट नं० ३ सन् १९५५) तथा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (भू-राजस्व) एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट नं० १५ सन् १९५६) और राजस्थान काश्तकारी कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम १९७० के प्रावधानों का पालन करने के लिए आबद्ध होना स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर प्रार्थी

तारीख

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दिये तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और यह है कि मैंने सत्य कथन किया है तथा किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है मेरे परिवार में .... सदस्य हैं जो पूर्णतया मुझ पर निर्भर हैं।

साक्षी (१) .... पता ....

(२) .... पता ....

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी के साथ में पेश है।

(क) आवदेक द्वारा आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन के कॉलम सं0 2 में कुछ भी अंकित नहीं किया है। अर्थात् आवेदक के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि ,गांव का नाम, जिसमें स्थित है, खं0नं0, क्षेत्रफल , किस्म जमीन इत्यादि के संबंध में विवरण/तथ्य छिपाये गए है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रीडर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

जबकि अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2039–42 ग्राम खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली के अनुसार आवंटन के समय आवंटी की खातेदारी भूमि ग्राम खावदा में स्थित थी।

(ख) आवेदक द्वारा आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन में खं0नं0 132 ग्राम बाढ नाननवास हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था तथा पटवारी हल्का द्वारा भी खं0नं0 132 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खं0नं0 135 की सिफारिश की थी तथा आवंटी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खं0नं0 135 ही आवंटन किया गया था। अर्थात आवेदित खं0नं0 132 के विरूद्ध खं0नं0 135 ग्राम बाढ नाननवास तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर में गलत आवंटन होना साबित होता है।

(ग) आवेदक द्वारा आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपने आप को ग्राम बाढ नाननवास तहसील बामनवास का निवासी होना बताया है। जबकि अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 व 2044–2046 में अंकित काश्तकार का नाम में आवंटी मूल निवासी डाबर अंकित किया हुआ है। अर्थात् आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदक आवेदित भूमि से संबंधित राजस्व ग्राम/पंचायत का निवासी नहीं था।

12. राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन नियम 1970) के अर्न्तगत निम्न प्रावधान है:–

2- Interpretation:- (iii-B) Landless Agriculturist means a resident of Rajasthan who is either and bonafide agriculturist or an agricultural labourer, and is cultivating or is likely to cultivate land personally, and whose main source of livelihood.js agriculture or any occupation which is subsidiary or subservient to agriculture, and such person does not hold any tenure land anywhere in Rajasthan

13- <u>Allottment to be in consultation with Advisory Committee</u>

5[(4) The allotment shall be made in the village in which the land proposed to the allotted is situate. The Sub-Divisional Officer and the members of Advisory Committee shall visit each such village for allotment of land. The date, time and place of the meeting, for the purpose of allotment shall be intimated to the village panchayat concerned at least one week in advance. A

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

copy of the list of unoccupied "Government lands proposed to be allotted at the meeting shall also be sent, to ther in column 1 to 6

(5) Minutes of the meeting of the advisory Committee shall be written and signed by the Sub-Divisional Officer and the members of Advisory Committee present, before they disperse after the meeting

14- Condition Of Allotment

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment.

14. अर्थात आवंटी द्वारा तथ्य छिपाकर ,इरादतन, कपटपूर्ण ढंग से आवंटन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर आवंटन नियमों का दुरूपयोग कर राज्य सरकार की सम्पत्ति की क्षति कारित की गई है।

15. अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को ग्राम बाढं नाननवास में स्थित भूमि ख0नं0 135 रकबा 1.50 है0 का हुआ आवंटन दिनांक 28.05.1986 निरस्त किया जाता है, साथ ही उक्त दिनांक के उपरान्त उक्त कृषि भूमि का यदि कोई अन्य नामान्तकरण/संपत्ति अंतरण इत्यादि हुऐ हो , तब विकेता को संपत्ति अंतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) 1882 के तहत संपत्ति अंतरण का अधिकार विधि सम्मत् नहीं होने के कारण समस्त भूमि अंतरण/नामान्तकरण प्रारम्भतः ही विधि शून्य (ab initio void) होगे। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति के साथ पृथक से तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी कर पालना रिपोर्ट दिनांक 15.03.2026 तक भिजवाने हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि
(रीडर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested